



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1946/ Type Approval No.: 1946

मद / FOR ITEM: फ्लुरो कार्बन बेस रबड़ कांपउंड (एई-4920)

विनिर्देश एचएम-4920 इश्यू 'ए'

Fluorocarbon Base Rubber Compound (AE – 4920)
To The Specification HM – 4920 Issue 'A'

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एरोस्पेस इंजीनियर्स, सेलम एरोपार्क, एनएच-7, अम्मापालयम विलेज, मालूर, सेलम-636 203, द्वारा विकसित एवं उत्पादित "फ्लुरो कार्बन बेस रबड़ कांपउंड (एई-4920)" को विनिर्देश संख्या: एचएम-4920, इश्यू 'ए' के अनुसार सभी एच ए एल की परियोजनाओं तथा समान अनुप्रयोगों में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह पदार्थ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल) के रूपरेखाओं से नियंत्रक टेस्ट शेड्यूल सं.: एचएम-4920, इश्यू ए, दिनांक 2 फरवरी 1991 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Fluorocarbon Base Rubber Compound AE – 4920" developed and manufactured by M/s Aerospace Engineers, Salem Aeropark, NH-7, Ammapalayam Village, Mallur, Salem – 636 203, is hereby approved as per specification No: HM – 4920, Issue 'A' for use in all HAL projects and such similar Applications. This material has been tested as per Test Schedule No.: HM – 4920, Issue 'A', dated : 02nd February 1991 as outlined by RCMA (F & F – FOL). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखनसंविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए। ,

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 28 फरवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ – एफ ओ एल) से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 28th February 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F - FOL), for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलुरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA – 1946

दिनांक / Date : 26 February 2018

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

AR



पी . जयपाल / P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)